फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______ मुकाम ______

हीरालाल बनाम भंवरलाल

किस्म मुकद्दमा प्रार्थना पत्र नं. २५८ सन् २०२२

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/08/25	पत्रावली पेश हुई वकील मुन्सरिम पेश उप-1 बहस प्रा.पत्र धा.२ RTA पर सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया ग्राम ढिकोरिया की आराजी नं. 816, 817, 818 कुल किता 03 कुल रकबा 0.82 है. भूमि प्रार्थी के पैतृक व पुश्तैनी होने से प्रार्थी का उक्त आराजीयात मे 1/2 हक-हिस्सा निहित था परन्तु वर्तमान मे उक्त आराजीयात विपक्षी सं. (1) के नाम दर्ज होने से विपक्षी सं. (1) द्वारा दलाल हरिवल्लभ s/o सुरजमल स्वामी को विक्रय कर दी जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व मे नही थी उक्त आराजीयात विपक्षी सं. (1) ने विधि विपरीत विक्रय करदी है जिससे भी व	(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं [illegible] अधिकारी [illegible] (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/06/25	आराजीयात प्रार्थी के नाम खातेदारी घोषणा हेतु वाद अभिलम्बित पेश किया है अतः विपक्षी सं. (1) को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील विपक्षी ने प्रा.पत्र का खण्डन प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब प्रा.पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रा.पत्र मे वर्णित आराजीयात पुश्तैनी नही होकर विपक्षी की निजी खातेदारी भूमि है जिसमे प्रार्थी का कोई हक-हिस्सा निहित नही है। उक्त भूमि विपक्षी को सन 2002 मे आवंटन की गई थी जिस पर विपक्षी ने काफी मेहनत कर काबिल काश्त बनाया। अतः जब उक्त भूमि विपक्षी की निजी भूमि आवंटन बतौर होने से उक्त भूमि मे प्रार्थी का हक-हिस्सा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। आराजी सं. 814, 815 कुल किता -02 कुल रकबा 0.37 हे. विपक्षी की निजी

(मीनू दवल)
सहायक कलक्टर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कृषि भूमि है जिसके उपयोग उपभोग व रहन, बेच, बक्शीश करने का कोई अधिकार भी इस कारण विपक्षी सं. (1) को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।	
हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर वकील उभय पक्ष द्वारा की गई बहस पर चिन्तन व मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने से जाहिर आया है कि ग्राम निकोडिया की आराजी नं. 814 मी., 815 कुल किता 0.20 हे. का मदन लाल S/o गंगाराम अभिलेखित खातेदार है एवं आराजी नं. 816, 817 मी., 818 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 00 हे. में विपक्षी सं. (1) संयुक्त खातेदार होकर 1/2 का हिस्सा निहित है। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से विपक्षी के विरुद्ध अस्थाई	(मीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निषेधाज्ञा पुनःहित करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है एवं इनके साथ ही वोह आराजीयात में विपक्षी (भंवरलाल) संयुक्त खातेदार की हैसियत से 12 रकबा किता का खातेदार दर्ज रेकार्ड है) जिससे संयुक्त खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा देना उचित नहीं समझते है) वकील विपक्षी ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न दो न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किए है) (1) संयुक्त खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है (A) श्रीराम v/s मोहनराम RRD. 2004 Pej 65-66 (B) भेरुलाल v/s नारायण RRD. 2004 Pej 119-122 (2) जहां वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं हो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है (A) भंवरलाल v/s रामनाथ R.R.T 2003 (1) Pej 540 से 543 (नीतू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ________________ मुकाम ________________

________________ बनाम ________________

मुकद्दमा ________________ नं. ________________ सन् ________________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील विपक्षी [illegible] ने उक्त न्यायिक दृष्टान्त की ओर इंगित करते हुए भी निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा भी समुक्त आदेशात् व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में एवं न्यायिक दृष्टान्त को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होने से सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः वर्तमान स्तर में प्रार्थी का प्रा.पत्र धारा RTA	(नीतू देवरा) सहायक कलक्टर एवं [illegible] अधिकारी [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ग्राम निकारिया की आराजी 817, 816, 818 कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 है. एवं आराजी नं. 814मी, 815 कुल किता 02 कुल रकबा 0.20 है. के सम्बन्ध प्रमाणित नहीं पाए जाने से खारीज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद 845/22 अनवार हीरालाल वल्द भंवरलाल के सामने संलग्न हो।

(वि[illegible] देवा[illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner